मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय- 462004

क्रमांक: एफ-2-4-/2021/सात/शा-7 भोपाल, दिनांक:23/09/2024

प्रति,

(1) समस्त संभागायुक्त,
मध्यप्रदेश।

(2) समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः- न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को प्राप्त संरक्षण वावत।

उपरोक्त विषय के संबंध में शासन दवारा समस्त कलेक्टरों को विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-2-4-/2021/सात/शा-7, दिनांक 25.03.2021 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-19-36/1993/1/4, भोपाल, दिनांक 31.01.1994 के द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये गये हैं :-

"राजस्व न्यायालय के समस्त पीठासीन अधिकारी, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 31 अथवा किसी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अर्द्धन्यायिक/न्यायिक कार्यवाही कर रहे हैं, न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा-2 के अंतर्गत न्यायाधीश' हें और उन्हें, ऐसी अर्द्धन्यायिक/न्यायिक कार्यवाही के दौरान किये गये किसी कार्य के विरुद्ध सिविल अथवा दाण्डिक कार्यवाही से अधिनियम की धारा-3 (2) के अधीन रहते हुए, संरक्षण प्राप्त है।"

म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-2-4/2021/सात/शा.-7, दिनांक 25.03.2021 की कण्डिका (3) पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना उचित होगा।

निरंतर.....2

Scanned with OKEN Scanner

"न्यायाधीशों के लिए अतिरिक्त सरंक्षण- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी वात के होते हुए भी और उपधारा (2) के उपवंधों के अधीन रहते हुए, कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो न्यायाधीश है या था, उसके द्वारा उस समय जव वह अपने पदीय या न्यायिक कर्तव्य या कृत्य में कार्य कर रहा हो या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो, या उसके अनुक्रम में किए गए किसी कार्य, की गई किसी वात या वोले गए किसी शव्द के लिए किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा।"

अतः क्षेत्राधिकार से समस्त विभागीय अधिकारियों से समन्वय कर सुनिश्चित करें कि शासन के संदर्भित परिपत्रों का पालन किया जाए।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(विवेक कुमार पोरवाल)
प्रमुख सचिव
0/C म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

पृ. क्रमांकः- एफ-2-4-/2021/सात/शा-7 भोपाल, दिनांक23 /09/2024

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव गृह (पुलिस) विभाग - समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त म.प्र.।
3. आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

Scanned with OKEN Scanner